

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज०)

पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 59/2024

उनवान

1. श्री अजय पिता स्व. बबला बरगोट जाति भील निवासी झाजुपुरा बेडवा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. श्री विजय पिता स्व. बबला बरगोट जाति भील निवासी झाजुपुरा बेडवा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. श्रीमती लसी पत्नि स्व. बबला बरगोट जाति भील निवासी झाजुपुरा बेडवा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. श्री अनु बरगोट पिता लालेंग जाति भील निवासी झाजुपुरा बेडवा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती कुरी पत्नि स्व. रमेश बरगोट जाति भील निवासी झाजुपुरा बेडवा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. श्री धनपाल पिता स्व. रमेश जाति भील निवासी झाजुपुरा बेडवा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. श्री भेरिया पिता लालेंग बरगोट जाति भील निवासी झाजुपुरा बेडवा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
4. श्री संरेशचन्द्र पिता स्व. रमेश बरगोट जाति भील निवासी झाजुपुरा बेडवा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा (राज.)।
5. तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 8.4.2025


प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं किप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी भूमि खाता संख्या 78 (नया), 83 (पुराना) के खसरा संख्या 171 रकबा 0.95 हे., खसरा संख्या 172 रकबा 0.32 हे., खसरा संख्या 175 रकबा 0.38 हे., खसरा संख्या 176 रकबा 0.06 हे., खसरा संख्या 177 रकबा 0.04 हे., खसरा संख्या 178 रकबा 0.05 हे., खसरा संख्या 179 रकबा 0.06 हे., खसरा संख्या 180 रकबा 0.07 हे., खसरा संख्या 2598/2799 रकबा 0.09 हे., खसरा संख्या 296 रकबा 0.18 हे. तथा खसरा संख्या 304 रकबा 0.16 हे., कुल कित्ता 11 रकबा 2.37 हे.

उपखण्ड अधिकारी



भूमि, पटवार हल्का बेडवा के मौजा झाजुपुरा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है। तथा प्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की अन्य खातेदारी भूमि खाता संख्या 146 (नया), 150 (पुराना) के खसरा संख्या 2960/297 रकबा 0.32 हे. भूमि, पटवार हल्का बेडवा के मौजा झाजुपुरा तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त दोनो खातो में लिपिकिय त्रुटि के कारण प्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम बबला बरगोट के स्थान देवा अंकित हो गया है। जबकि आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो (भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक) में प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम बबला बरगोट ही दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 78 (नयी), 83 (पुराना) में प्रार्थी संख्या 4 का नाम अनु पिता लालेंग बरगोट के स्थान शंकर पिता (नयी), 83 (पुराना) में प्रार्थी संख्या 4 का नाम अनु पिता लालेंग बरगोट के स्थान शंकर पिता लालेंग अंकित हो गया है। जबकि आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजो (भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता पासबुक) में प्रार्थी संख्या 04 का नाम अनु पिता लालेंग बरगोट ही दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की वंशावली निम्नानुसार है।

लालेंग (फौत)



राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण को भूमि विकास हेतु लोन आदि लेने में काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण प्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड में उक्त नामों के संबंध में शुद्धिकरण हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश करना आवश्यक होने से उक्त प्रार्थना-पत्र पेश हुआ। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण को सम्मन तामिल उपरान्त अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से श्री राजेन्द्र पाटीदार अभिभाषक का वकालतनामा पेश होकर जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा अपने जवाब में यह स्वीकार किया कि लिपिकिय त्रुटि के कारण

उपस्वण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला हाँसवाड़ा



प्रार्थी संख्या 01 व 02 एवं प्रार्थी संख्या 03 के पति का नाम बबला बरगोट के स्थान देवा तथा प्रार्थी संख्या 04 का नाम अनु पिता लालेंग बरगोट के स्थान पर शंकर पिता लालेंग बरगोट ही गया है। उक्त त्रुटि की शुद्धिकरण किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 को कोई आपत्ति नहीं होना बताया तथा वाद-पत्र के चरण संख्या 05 में अंकित वंशावली को स्वीकार कर सही बताया।

अप्रार्थी संख्या 05 भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी का जवाब पेश हुआ। तहसीलदार, गढ़ी द्वारा अपने जवाब में ग्राम झाजपुरा में वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 78 कुल खसरा 11 कुल रकबा 2.37 हे. भूमि कृषी पत्नि स्व. रमेश हिस्सा 1/12, देवा पुत्र लालेंग हिस्सा 1/4, धनपाल पुत्र रमेश हिस्सा 1/12, भेरिया पुत्र लालेंग हिस्सा 1/4, शंकर पुत्र लालेंग हिस्सा 1/4 सरेशचन्द्र पिता रमेश हिस्सा 1/12 दर्ज रिकार्ड है सेटलमेंट जमाबंदी अनुसार संवत 2044 अनुसार खाता संख्या 179 में खातेदारों के नाम भेरिया, देवा, रमेश, शंकर पिता लालेंग जाति भील दर्ज रिकार्ड है जबकि खातेदारान के आधारकार्ड, राशनकार्ड, जनाधारकार्ड में बबला पिता लालेंग व अनु पिता लालेंग दर्ज है। वर्तमान बबला पिता लालेंग की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसान अजय (पुत्र), विजय (पुत्र) व अजय (पत्नि) है। तहसीलदार गढ़ी की रिपोर्ट के साथ प्रार्थी संख्या 04 व अप्रार्थी संख्या 03 के पिता, प्रार्थी संख्या 03 व अप्रार्थी संख्या 01 के ससुर तथा प्रार्थी संख्या 01 से 02 व अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के दादा लालेंग पिता जीवा का सरपंच ग्राम पंचायत बेडवा द्वारा जारी सजरा पेश हुआ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से 02 के पिता व प्रार्थी संख्या 03 के पती बबला बरगोट की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। न्यायालय की नजर में मृतक बबला के स्थान पर देवा किया जाना नाम में शुद्धि न होकर पूर्ण रूप से नाम में परिवर्तन किया जाना है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 04 का नाम अनु के स्थान पर शंकर किया जाना नाम में शुद्धि करना न होकर नाम में पूर्ण रूप से परिवर्तन करना है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसे यह साबित हो कि बबला एवं देवा एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार अनु व शंकर से सम्बन्धित भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो की अनु व शंकर एक ही व्यक्ति है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को सर्रे इजराय सुनाया गया।

(श्रवण सिंह रावोंड)

उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड मुख्याधिकारी
गढ़ी, जिला धौंसवाड़ा